[20/12/2021]

प्रश्न सं. [क्र. 517]

मध्यप्रदेश शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक 9574 / MGNREGS-MP/NR-3/ 2011, भोपाल, दिनांकः ~~सितम्बर~~, 2011
01-10-11

प्रति,

1. संभागीय आयुक्त, संभाग (समस्त)
2. अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मण्डल, (समस्त)
3. कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा
5. कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, समस्त, मध्यप्रदेश।

विषयः– पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम एवं पंचायत क्षेत्र के निर्माण कार्यों के संपादन में कार्यरत अभियंताओं की भूमिका, उत्तरदायित्व एवं नियंत्रण।

संदर्भः– सघन पर्यवेक्षण परिपत्र क्रमांक 2, पत्र क्रमांक 1741 / MGNREGS-MP/NR-3/ 2011, दिनांक 16.02.2011।

विभाग में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के अंतर्गत कार्यरत अभियंताओं के तकनीकी नियंत्रण एवं दायित्वों का पुनःनिर्धारण करते हुए संदर्भित विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किए गए। हाल ही में आयोजित संभाग स्तरीय समीक्षा बैठकों में यह तथ्य प्रकाश में आया कि विषय पर दिए गए निर्देशों को पुनः सुस्पष्ट किया जाना अनिवार्य हो गया है।

अतः निम्नलिखित दिशा–निर्देश पुनः स्पष्ट किए जाते हैं :–

1. ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के कार्यपालन यंत्री की सेवाएं जिला पंचायत को उपलब्ध है। कुछ जिला पंचायतों में तकनीकी सेवाओं से परियोजना अधिकारी / सहायक परियोजना अधिकारी के रूप में सहायक यंत्री अथवा उपयंत्री स्तर के अधिकारियों की सेवाएं उपलब्ध करायी गयी है। तकनीकी निर्णयों में भ्रान्तियॉं न हो इस उद्देश्य से इन अधिकारियों को योजनाओं की समीक्षा एवं अन्य तकनीकी कार्य सीधे कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के कार्यालय के माध्यम से करने हेतु निर्देशित किया जाता है।
2. मनरेगा योजना के क्रियान्वयन के लिए विभाग के अंतर्गत कार्यरत उपयंत्री चाहे वह संविदा या प्रतिनियुक्ति पर हो, अपने कार्यक्षेत्र में पंचायतों द्वारा निष्पादित समस्त योजनाओं एवं मनरेगा योजना के निर्माण कार्यों के क्रियान्वयन तथा पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी होंगे एवं अपने कार्यक्षेत्र के सहायक यंत्री (मनरेगा) के समग्र नियंत्रण में कार्य करेंगे।

प्रत्येक जनपद पंचायत में मनरेगा योजना के कार्यो हेतु कार्यरत उपयंत्रियों के बीच कार्यक्षेत्र अर्थात् सेक्शन/सेक्टर सामान्यतः कार्यभार के अनुसार पंचायतों का समूह बनाकर किया जावेगा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत के परामर्श से सहायक यंत्री द्वारा कार्यक्षेत्र के निर्धारण का प्रस्ताव तैयार किया जावे जिसे कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा अनुमोदित किया जावेगा। जनपद पंचायत द्वारा किसी भी परिस्थिति में, उपयंत्री हेतु निर्धारित कार्यक्षेत्र के अलावा अन्य कार्यक्षेत्र का कार्य नहीं सौंपा जावेगा।

4. उपयंत्री उनके निर्धारित कार्यक्षेत्र में पंचायत क्षेत्र के सभी कार्य, जिसमें मनरेगा के कार्य भी सम्मिलित है, के प्राक्कलन तैयार करने, ले–आउट देने, कार्य का पर्यवेक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण करने, मूल्यांकन करने एवं पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने की कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होंगे।

5. मनरेगा के कार्यो हेतु नियुक्त सहायक यंत्री, उन्हें निर्धारित कार्यक्षेत्र में ग्राम पंचायतों द्वारा निष्पादित समस्त योजनाओं एवं मनरेगा योजना के निर्माण कार्यो का तकनीकी नियंत्रण, मूल्यांकन सत्यापन, गुणवत्ता नियंत्रण एवं पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए उत्तरदायी होंगे। मनरेगा योजना के कार्यों के लिए सहायक यंत्री, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत के प्रति उत्तरदायी होते हुए उनसे समन्वय रखेंगे। सहायक यंत्री, मनरेगा योजना से संबंधित जानकारियां तथा विवरण यथासमय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत को भेजा जाना एवं योजना क्रियान्वयन में निरंतर सम्पर्क रखना सुनिश्चित करेंगे।

5.1 अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के कार्यक्षेत्र एवं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा को सीधे सौपे गये कार्य एवं उपयंत्रियों का ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के कार्यो का कार्यक्षेत्र इस व्यवस्था से अप्रभावित रहेगा।

6. जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत द्वारा मनरेगा योजना के लिये पदस्थ उपयंत्री या सहायक यंत्री का वेतन क्रमशः संबंधित सहायक यंत्री एवं कार्यपालन यंत्री द्वारा अनुशंसित पे–डाटा के आधार पर ही निकाला जावेगा। पे–डाटा सामान्यतः पिछले माह की 21 तारीख से प्रश्नाधीन माह की 20 तारीख तक का होगा। उचित समय तक अनुशंसित पे–डाटा प्राप्त न हो तो कार्य से अनुपस्थिति की स्थिति का परीक्षण करते हुए आहरण संवितरण अधिकारी द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

7. जिला स्तर पर पदस्थ कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, सहायक यंत्री (मनरेगा) पर समग्र नियंत्रण रखेंगे एवं पंचायत क्षेत्र के कार्यों के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं जिला कलेक्टर के प्रति उत्तरदायी होते हुए समन्वय सुनिश्चित करेंगे। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के कार्यों के लिए कार्यपालन यंत्री सीधे अधीक्षण यंत्री के प्रति उत्तरदायी होंगे।

8. अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा पंचायत क्षेत्र के कार्यों के लिए निर्धारित पर्यवेक्षण सुनिश्चित करते हुए संभागीय आयुक्त के प्रति उत्तरदायी रहेंगे। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के कार्यों के लिए वे सीधे मुख्य अभियंता के प्रति उत्तरदायी होंगे।

9. ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के मुख्य अभियंता, अधीक्षण यंत्री एवं कार्यपालन यंत्री की कार्यप्रणाली पर समग्र नियंत्रण रखते हुए विकास आयुक्त के प्रति उत्तरदायी होंगे।

10. मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए विभाग के **परिपत्र–1**, क्र.2998/MGNREGS-MP/NR-3/2010 दिनांक 27.03.2010 से जारी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट व अमले के लिए की गई संपूर्ण व्यवस्था पर उपरोक्तानुसार निर्देशों का कोई प्रभाव नहीं होगा एवं वह व्यवस्था यथावत् लागू रहेगी।
इन निर्देशों का कढ़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे।

(अरूणा शर्मा)
प्रमुख सचिव
म.प्र. शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ. क्रमांक 9575 /**MGNREGS-MP/NR-3/2011,** भोपाल, दिनांकः ~~सितम्बर~~ 01-10-11 2011

प्रतिलिपि–

1. विकास आयुक्त, म.प्र. भोपाल।
2. सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल।
3. आयुक्त, म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल।
4. मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, पूर्व परिक्षेत्र एवं म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल।
5. मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, पश्चिम परिक्षेत्र, विकास आयुक्त कार्यालय भोपाल।
6. सहायक यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा/मनरेगा (समस्त) की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी जनपद पंचायत (समस्त)।
8. उपयंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा/महात्मा गांधी नरेगा (समस्त)।
9. प्रभारी अधिकारी, मॉनिट/मीडिया शाखा, म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

---

1. निज सहायक, माननीय मंत्री जी, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
2. निज सहायक, माननीय राज्य मंत्री जी, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।

प्रमुख सचिव
म.प्र. शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग